



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक— 2021 / मास्टर प्लान / जोन-5 / 2025 दिनांक— 19 / 09 / 2025

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती करिश्मा शर्मा व श्री महेश शर्मा द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खसरा संख्या-144 / 1 मि०, ग्राम शाहपुर बम्हैटा, गाजियाबाद के क्षेत्रफल 290.00 वर्ग भी० भूमि पर उ०प्र० के विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 के प्रस्तर 5.5.2 में निहित प्राविधानों के अनुसार दो पहिया एवं तीन पहिया वाहन हेतु पेट्रोल पम्प मानचित्र संख्या—GDA/BP/25-26/0433 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। नियोजन अनुभाग की आख्यानानुसार प्रश्नगत स्थल गाजियाबाद महायोजना-2021 में औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शित है। अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही पुनरीक्षित गाजियाबाद महायोजना-2031 में उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग मध्यम उद्योग में दर्शित किया गया है। गाजियाबाद महायोजना-2031 में निहित जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार मध्यम उद्योग भू-उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रिया अनुमन्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक / स्वागत कक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। कार्यालय में नियत अवधि (30 दिन) में प्राप्त होने वाले आपत्ति / सुझाव पर विचार किया जायेगा। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, [f@Gda Ghaziabad](https://www.facebook.com/GdaGhaziabad) : [gdagzb](https://www.instagram.com/gdagz)

हेल्पलाइन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प